कार्यालय–नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मऊ।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मऊ परिसर में स्थित दुकानों– झटपट फोटोग्राफर 1 अदद, जलपान की दुकान 2 अदद, फोटो स्टेट की दुकान 2 अदद, फलशर्बत की दुकान 2 अदद, पान की दुकान 2 अदद, स्टेशनरी 1 अदद, चना ठेला 1 अदद की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 18.03.2026 को न्यायालय परिसर स्थित सभाकक्ष में समय 01:30 बजे अपराह्न किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। विस्तृत सूचना को जनपद न्यायालय, मऊ की वेबसाइट http://mau.dcourts.gov.in पर देखा जा सकता है एवं नजारत अनुभाग से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

06/03/26	06.03.2026	06/03/26
(अरूणांजली सिंह)	(डॉ0 कृष्ण प्रताप सिंह)	(राजीव कुमार वत्स)
सदस्य, दुकान नीलामी समिति/	सदस्य, दुकान नीलामी समिति/	अध्यक्ष, दुकान नीलामी समिति/
सिविलि जज (सी0डि0), एफ.टी.सी	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	अपर जनपद न्यायाधीश, एफ.टी.सी–2
जनपद न्यायालय, मऊ।	जनपद न्यायालय, मऊ।	जनपद न्यायालय, मऊ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– माननीय जनपद न्यायाधीश, मऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– नोडल अधिकारी कम्प्यूटर, मऊ को माननीय उच्च न्यायालय की एवं जनपद न्यायालय, मऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
3– जिला सूचना अधिकारी को दो स्थानीय एवं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञापन कराये जाने एवं उसकी प्रति प्राप्त कराये जाने हेतु।
4– जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर।
5– कलेक्ट्रेट, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
6– विकास भवन, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
7– जनपद मऊ में स्थित समस्त तहसील के नोटिस बोर्ड पर।
8– जिला पंचायत, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
9– नगर पालिका, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
10–सम्बन्धित पत्रावली, केन्द्रीय नाजिर को अनुपालन हेतु।

06/03/26
(राजीव कुमार वत्स)
अध्यक्ष, दुकान नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, एफ.टी.सी–2
जनपद न्यायालय, मऊ।

कार्यालय–केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, जनपद मऊ।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए जनपद न्यायालय, मऊ के परिसर में स्थित निम्नलिखित दुकानों– झटपट फोटोग्राफर दुकान, जलपान की दुकान नं0 1, जलपान की दुकान नं0 2, फोटो स्टेट दुकान नं0 1, फोटो स्टेट दुकान नं0 2, फलशर्बत दुकान नं0 1, फलशर्बत दुकान नं0 2, पान की दुकान नं0 1, पान की दुकान नं0 2, स्टेशनरी, चना ठेला की नीलामी खुली बोली के माध्यम से कतिपय शर्तों के अधीन माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा गठित नीलामी समिति द्वारा दिनांक 18.03.2026 को अपराह्न 01:30 बजे जनपद न्यायालय, मऊ के सभाकक्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय व स्थान पर नीलामी हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। नीलामी निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी–

1– उपर्युक्त दुकानों का ठेका दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक के लिये वैध होगा। ठेका यदि पहले किसी कारण से समाप्त नहीं किया जाता तो दिनांक 31.03.2027 को स्वतः समाप्त हो जायेगा।

2– उपर्युक्त दुकानों की **नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य, पूर्व में जिस दर पर दुकानें उठाई गयी थी, उससे 10 प्रतिशत बढ़ा कर होगा।** उपर्युक्त दुकानों का विवरण एवं न्यूनतम आरक्षित मूल्य निम्नानुसार है–

क्रमांक	दुकान विवरण	वर्ष 2025–2026 हेतु स्वीकृत धनराशि रूपये में	वर्ष 2026–2027 हेतु न्यूनतम बोली (10% वृद्धि के साथ)
1	झटपट फोटोग्राफर	9,00,000	9,90,000
2	जलपान की दुकान नं0 1	3,63,500	3,99,850
3	जलपान की दुकान नं0 2	1,85,700	2,04,270
4	फोटो स्टेट दुकान नं0 1	– (वर्ष 2020–21 हेतु स्वीकृत धनराशि 2,15,100)	2,36,610
5	फोटो स्टेट दुकान नं0 2	– (वर्ष 2024–25 में छः माह हेतु स्वीकृत धनराशि 50,000)	1,10,000
6	फलशर्बत दुकान नं0 1	– (वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत धनराशि 70,100)	77,110
7	फलशर्बत दुकान नं0 2	23,400	25,740
8	पान की दुकान नं0 1	– (वर्ष 2012–13 हेतु स्वीकृत धनराशि 39,325)	43,258
9	पान की दुकान नं0 2	45,450	49,995
10	स्टेशनरी	– (वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत धनराशि 28,150)	30,965
11	चना ठेला	– (वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत धनराशि 25,000)	27,500

3– नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्ति फोटोयुक्त पहचानपत्र/आधारकार्ड की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति नीलामी की कार्यवाही से पूर्व जमा करेंगे तथा नीलामी की कार्यवाही के दौरान फोटोयुक्त पहचानपत्र को मूलरूप में अपने पास रखेगें।

4– नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति द्वारा नीलामी के दिनांक को समय 12:00 बजे दोपहर तक संबंधित दुकान/निर्धारित स्थान हेतु निर्धारित न्यूनतम आरक्षित धनराशि का 10 प्रतिशत नजारत अनुभाग में जमा कर नीलामी में प्रतिभाग लिया जा सकता है।

5– उपर्युक्त दुकानों की नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियों को पूर्व में परिसर में स्थित कोई दुकान आवंटित की गयी थी एवं उन पर संबंधित नीलामी धनराशि अवशेष है, उन्हें अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को किसी भी दुकान की नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

6– नीलामी में भाग लेने वाले प्रतिभागी द्वारा जमा जमानत धनराशि सफल बोलीकर्ता को छोड़कर, शेष को नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर वापस कर दी जायेगी। जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी, तो उसे आवंटन के पश्चात् ठेके की धनराशि का भुगतान निम्न रूप से करना होगा–

(i) 25 प्रतिशत धनराशि, आवंटी द्वारा जमा जमानत धनराशि को समायोजित करते हुए, नीलामी समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्।

(ii) 25 प्रतिशत धनराशि प्रथम त्रैमास (जून) के अन्तिम कार्यदिवस तक।

(iii) 25 प्रतिशत धनराशि द्वितीय त्रैमास (सितम्बर) के अन्तिम कार्यदिवस तक।

(iv) 25 प्रतिशत धनराशि तृतीय त्रैमास (दिसम्बर) के अन्तिम कार्यदिवस तक।

7– आवंटी द्वारा ठेका धनराशि के उपर्युक्त अनुसार भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दी जायेगी तथा बकाया धनराशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जायेगा।

8– नीलामी में सबसे ऊँची बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जाएगी, परन्तु नीलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश, मऊ को होगा। माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0–24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये उच्चतम बोली को अस्वीकार तथा किसी भी बोली को स्वीकार किया जा सकता है।

9– जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं0–31 दिनांकित 16.03.1953 सपठित परिपत्र सं.–28 दिनांकित 17.03.1958 में दी गयी शर्तों के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी तो उसे नीलामी की दिनांक को ही स्वयं के नाम से क्रय किया गया 100 रूपये का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

10– आवंटी द्वारा आवंटित दुकान को निर्धारित समयानुसार प्रातः 08:00 से रात्रि 08:00 बजे तक खोला जा सकेगा।

11– जिस व्यक्ति के पक्ष में दुकान/निर्धारित स्थान की नीलामी की बोली स्वीकृत होगी तो उसे उन्हीं वस्तुओं की बिक्री/कार्य करना होगा, जिसके निमित्त उसे दुकान आवंटित की गयी है। आवंटी, आवंटित दुकान/निर्धारित स्थान के क्षेत्रफल से बाहर अथवा न्यायालय परिसर में घूम–घूमकर वस्तुओं की बिक्री/कार्य नहीं करेगा।

12– आवंटी, आवंटित दुकान को स्वंय चलायेगा तथा अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को अन्तरित नहीं करेगा। यदि दुकान के अंतरण का तथ्य संज्ञान में आता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकार होगा कि वह उस दुकान का ठेका निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।

13– ठेकेदार को अपने दुकान के आस–पास की सफाई स्वयं करनी होगी। वह किसी अवांछनीय व्यक्ति को दुकान के स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा और न ही दुकान पर प्रदूषण उत्पन्न करेगा।

14– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं0–139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी, नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी, जहाँ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके ।

15– खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ के विक्रय हेतु नीलामी मे प्राप्त दुकान को अपने खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता बनाये रखने की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। शासन द्वारा निर्गत आदेश व दिशा–निर्देश का पालन करना होगा।

16– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थों की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण कर सकें ।

17– आवंटी/दुकानदार आवंटित दुकान/स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा। यदि आवंटित स्थल पर कोई अस्थायी निर्माण किया जाना आवश्यक है तो माननीय जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से ही अस्थायी निर्माण किया जा सकता है, जिसे आवंटित अवधि के पश्चात स्वयं के व्यय पर हटाना होगा।

18– आवंटी को यदि दुकान के लिए विद्युत उपभोग की आवश्यकता है तो वह विद्युत विभाग से स्वयं के व्यय एवं नाम पर विद्युत कनेक्शन लेकर विद्युत का उपभोग करेगा। आवंटी किसी भी दशा में न्यायालय परिसर में आपूर्ति की जा रही सरकारी विद्युत का उपभोग नहीं करेगा।

19– आवंटी द्वारा सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के द्वारा लगाये जाने वाले कर/फीस, यदि कोई हों, का भार स्वयं वहन किया जायेगा।

20– संबंधित ठेकेदार आवंटित दुकान मे कोई अवैधानिक, अनैतिक या विधि–विरूद्ध कार्य नहीं करेगा। यदि उक्त के संबंध में कोई सूचना घटना संज्ञान में आती है तो जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये ठेका निरस्त कर दे तथा उसके विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ करें।

21– सभी आवंटियों द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवंटी द्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर माननीय जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति की दुकान का ठेका निरस्त कर दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसकी सम्पत्ति से करा दें।

22– किसी भी तरह के विवाद का निस्तारण माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

06/03/26	06.03.2026	06/03/26
(अरूणांजली सिंह)	**(डॉ0 कृष्ण प्रताप सिंह)**	**(राजीव कुमार वत्स)**
सदस्य, दुकान नीलामी समिति/	सदस्य, दुकान नीलामी समिति/	अध्यक्ष, दुकान नीलामी समिति/
सिविलि जज (सी0डि0), एफ.टी.सी	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	अपर जनपद न्यायाधीश, एफ.टी.सी–2
जनपद न्यायालय, मऊ।	जनपद न्यायालय, मऊ।	जनपद न्यायालय, मऊ।